निगरानी 1607-PBR-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

10रू. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रू. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

देवेन्द्र कुमार गिल्ला आ0 स्व0श्री बाबूलाल गिल्ला

निवासी शनिचरा मोहल्ला होशंगाबाद

तहसील व जिला होशंगाबाद -------- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. प्रदीप कुमार गिल्ला आ0 स्व0श्री बाबूलाल गिल्ला

निवासी गणेश गंज कसेरा मोहल्ला होशंगाबाद

2. कु. आयुषी गिल्ला आयु करीब 18 वर्ष

पुत्री प्रदीप कुमार गिल्ला निवासी गणेश गंज

कसेरा मोहल्ला होशंगाबाद

3. कु. दिया गिल्ला आयु करीब 13 वर्ष अवयस्क

पुत्री प्रदीप गिल्ला मार्फत - बली पिता प्रदीप कुमार

गिल्ला निवासी गणेश गंज कसेरा मोहल्ला होशंगाबाद

4. कु. सांची गिल्ला आयु करीब 11 वर्ष अवयस्क

पुत्री प्रदीप कुमार गिल्ला मार्फत - बली पिता

प्रदीप कुमार गिल्ला निवासी गणेश गंज कसेरा मोहल्ला

होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद

5. योगेन्द्र कुमार गिल्ला आ0 स्व0श्री बाबूलाल गिल्ला

निवासी गणेश गंज कसेरा मोहल्ला होशंगाबाद

6. श्रीमती सरोज समैया पुत्री बाबूलाल गिल्ला पत्नि

प्रकाश चंद्र समैया निवासी कैलाश दादा का बाडा

जैन मंदिर के पास सुरई तह. व जिला सागर

7. श्रीमती आभा जैन पुत्री स्व0 बाबूलाल जैन

क्रमांक 5731 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/6/15

पत्नि श्री चंद्र पटेल ,निवासी ग्राम सिलवानी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन

8• श्रीमती अनीता समैया पुत्री स्व0 बाबूलाल गिल्ला
पत्नि कैलाश चंद्र समैया निवासी समैया किराना
बेगमगंज तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ---------- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता•

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

:: उत्पन्न ::

माननीय तहसीलदार महोदय होशंगाबाद द्वारा रा•प्र•क्र• 74-अ-6वर्ष-2012-13 मौजा हासलपुर पक्षकार - प्रदीप गिल्ला एवं अन्य बनाम- योगेन्द्र कुमार गिल्ला एवं अन्य मे पारित आदेश दि• 26•5•15 से पीडित एवं क्षुब्ध होकर निम्न के अतिरिक्त अन्य आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

:: [illegible] ::

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1607–पीबीआर/15 **जिला** होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.5.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि अनावेदक कमांक प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मूल रूप में है, जिसे साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है एवं दस्तावेज ग्राह्य होने के उपरांत आवेदक को दस्तावेज पर प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अधिकारी होगा, इसके पश्चात् ही दस्तावेज का निराकरण गुणदोष पर अंतिम निराकरण के समय किया जावेगा, आवेदक की आपत्ति निरस्त कर आदेशित किया गया है कि आवेदक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जो स्वीकार किया जावेगा । तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्तश कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	